बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
CO-OPERATIVE DEPARTMENT GOVT. OF BIHAR

बिहार सरकार

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

श्री विजय कुमार सिन्हा
माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार

श्री सम्राट चौधरी
माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार

डॉ0 प्रमोद कुमार
माननीय सहकारिता मंत्री, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

2025 - 26

सहकारिता विभाग

बिहार सरकार

हर थाली में बिहारी तरकारी

सहकारिता विभाग

राज्य के सभी पैक्सों में दिनांक 02.01.2026 से 31.01.2026 तक
डॉ० प्रमोद कुमार

डॉ० प्रमोद कुमार
माननीय मंत्री,
सहकारिता विभाग,
बिहार ।

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग का वर्ष 2025–26 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

बिहार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता एक सशक्त माध्यम है। सहकारिता को एक मूल्य आधारित सशक्त आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना वर्तमान समय की माँग है। भारतीय संविधान के "97वें संविधान संशोधन" द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौंपा गया है। सहकारिता के क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, खाद्यान्न अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना, फसलों की क्षति होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत योग्य किसानों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना आदि विभाग के मुख्य कार्य हैं।

भारत सरकार द्वारा सहकारिता के विकास हेतु आवश्यक पहल करते हुए सहकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से जन–औषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेन्टर, किसान उत्पादक संगठन (FPO), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र इत्यादि पैक्सों में स्थापित किये जा रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन के साथ–साथ पैक्सों की आय में अपेक्षित वृद्धि होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6299 पैक्सों को CSC-SPV पोर्टल पर Onboard किया जा चुका है, जिसमें से 5293 पैक्स क्रियाशील हो चुका है। राज्य के 428 पैक्सों द्वारा जन औषधि केन्द्र के स्थापना हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जिसमें 329 पैक्सों में जन औषधि केन्द्र स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। 26 पैक्सों में जन औषधि केन्द्र कार्यरत है। 2302 पैक्सों को उर्वरक व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जिसमें 1696 पैक्सों को प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। 1198 पैक्सों को अनुज्ञप्ति हेतु आवश्यक प्रशिक्षण कराया गया है।

राज्य सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य अंतर्गत 100 FPO का गठन किया गया है। सहकारी बैंक के स्तर पर 15 CBBO का गठन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। इनके द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य के सहकारी उत्पादों को वृहत मार्केटिंग लिंकेज उपलब्ध कराने हेतु तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों यथा– भारतीय बीज सहकारी समिति लि0, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि0 एवं राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लि0 की सदस्यता राज्य की समितियों को दिलायी जा रही है।

वर्ष 2026–27 में राज्य अंतर्गत पदाधिकारी एवं कर्मियों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा को उत्कृष्ट केन्द्र (Centre of Excellence) बनाने के लिए प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास रूम, कॉमन रूम, जिम, प्राचार्य कक्ष, फेकल्टी मेंबर्स के लिए आवासन की सुविधा हेतु अत्याधुनिक अधिसंरचना के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही, दक्षिण बिहार अंतर्गत गया जिला में सहकारिता प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का निर्माण प्रस्तावित है। जिला द्वारा आवंटित भूमि पर चहारदीवारी निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य के 300 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं 300 पैक्स अध्यक्षों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है।

राज्य में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू 'प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण' योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 4477 पैक्सों में 4476 पैक्स Go-Live हो चुका है। द्वितीय चरण में 2330 पैक्सों को कम्प्यूटरीकरण की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। निबंधक एवं जिला स्तरीय कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण भी किया गया है।

धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025–26 में अधिप्राप्ति लक्ष्य 36.85 लाख एम॰टी॰ के आलोक में दिनांक 10.02.2026 तक राज्य अंतर्गत 6871 समितियों द्वारा 3.41 लाख किसानों से 23.34 लाख एम॰टी॰ (63.36 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई है। अब तक कुल 3.13 लाख किसानों को 5162 करोड़ रूपए का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किया जा चुका है। अधिप्राप्ति व्यवस्था को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु Online Procurement Management System के अंतर्गत Mobile Application के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में सूचना प्रावैधिकी का समावेश किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऑनलाईन सदस्यता, ऑनलाईन निबंधन एवं अंकेक्षण ऐप द्वारा ससमय त्वरित गति से विभागीय कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

राज्य में सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करने एवं उपभोक्ताओं को बाजार से अपेक्षाकृत कम मूल्य पर एवं गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने के साथ–साथ उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना का आधार तैयार किया जा रहा है। राज्य अंतर्गत 534 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति का निबंधन किया जा चुका है। इस योजना अंतर्गत सब्जी उत्पादों के ब्रांड का नाम ''तरकारी'' है। इस योजनान्तर्गत गठित समितियों के सब्जी व्यवसाय का टर्न ओवर 160 करोड़ रूपए से अधिक हो चुका है।

राज्य सरकार द्वारा फसल क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु किसानों के हित में 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' लागू की गई है। खरीफ 2023 मौसम में 128201 योग्य किसानों को 122.52 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। रबी 2023–24 मौसम में 54790 योग्य किसानों को 38.76 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में खरीफ 2024 मौसम एवं रबी 2024–25 मौसम का सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2025 मौसम में कुल 15,02,738 आवेदन प्राप्त हुए है। उपज दर आँकड़ो के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों का सत्यापनोपरान्त भुगतान की कार्रवाई मार्च–अप्रैल 2026

में किया जाना है। रबी 2025–26 मौसम में योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है एवं ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया 01 जनवरी 2026 से प्रारंभ है।

राज्य में खरीफ 2026 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

पैक्सों में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत चयनित पैक्सों द्वारा कृषि उपकरणों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना से लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच सुगम हो रही है। योजनान्तर्गत 2970 पैक्सों को 434.85 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। वर्तमान में 2970 पैक्सों द्वारा 16927 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किये गये हैं। पैक्सों को 15892 विभिन्न कृषि संयंत्रों की आपूर्ति कंपनियों द्वारा की जा चुकी है।

राज्य में बिहार राज्य शहद प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का निबंधन हो चुका है। बिहार राज्य मार्केटिंग फेडरेशन अधिसूचित है एवं प्रमंडल स्तर पर 08 मार्केटिंग यूनियन का गठन हो चुका है। राज्य में बुनकरों के लिए वर्तमान में 04 बुनकर संघ गठित हैं। इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी तथा राज्य स्तर पर परिसंघ बनाया जाएगा।

बिहार राज्य भंडार निगम 'राज्य भंडारण एजेंसी' के रूप में घोषित है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 08 लाख मे0टन है तथा इसके अंतर्गत 60 से अधिक गोदाम संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में भंडार निगम के द्वारा 38 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया गया है।

राज्य में गन्ना उद्योग विभाग के अधीन बंद सकरी (मधुबनी) एवं रैयाम (दरभंगा) चीनी मिलों की भूमि पर सहकारिता विभाग द्वारा नये सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य में अनेक कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया गया। राज्य में पैक्सों द्वारा सदस्यता वृद्धि–सह–सहकारी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 2.50 लाख से अधिक नये सदस्य पैक्सों से जुड़ चुके हैं।

मैं अत्यंत आशान्वित हूँ कि बिहार राज्य को विकसित बनाने में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान परिलक्षित होगा।

(डॉ॰ प्रमोद कुमार)
माननीय मंत्री,
सहकारिता विभाग

विषय - सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	05
2	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	07
	i. कृषि रोड मैप (2023–28)	09
	ii. अधिप्राप्ति	11
	iii. बिहार राज्य फसल सहायता योजना	12
	iv. सहकारी अधिसंरचना	13
	v. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना	13
	vi. समेकित सहकारी विकास परियोजना	15
	vii सहकार भवन	18
	viii. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना	19
	ix वार्षिक योजना	20
	x. पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण की योजनाएँ	21
3	सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ	23
	i अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)	23
	ii. राज्य सहकारी बैंक लि॰	24
	iii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰	25
	iv. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	27
	v. सहकारी ऋण वितरण	28
4	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	29
5	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	30
6	महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	31
	i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा	31
	ii. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	31
	iii. व्यापार मंडल	31
7	बिहार राज्य भंडार निगम	32
8	सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेश	37
परिशिष्ट– I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	41
परिशिष्ट– II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	42
परिशिष्ट– III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	43
परिशिष्ट– IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	45
परिशिष्ट– V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	46

1. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

क्र॰सं॰	योजना			
1.	**अधिप्राप्ति**			
	(क) खरीफ 2024–25 मौसम (धान)	6732 पैक्स / व्यापारमण्डल	39.23 लाख मे॰टन (4.63 लाख किसानों से)	
	(ख) रबी 2025 मौसम (गेहूँ)	1201 पैक्स / व्यापारमण्डल	3586.22 मे॰टन (1676 किसानों से)	
	(ग) खरीफ 2025–26 मौसम (धान)	6871 पैक्स / व्यापारमण्डल	23.34 लाख मे॰टन (3.13 लाख किसानों से)	
2.	**बिहार राज्य फसल सहायता योजना**	**निबंधित कृषकों की संख्या**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**	**किसानों को भुगतान की गई राशि**
	(क) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2023)	1596950	128201	122.52 करोड़ रूपये
	(ख) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2023–24)	775391	54790	38.76
	(ग) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2024)	959502	भुगतान प्रक्रियाधीन	
	(घ) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2024–25)	849175	सत्यापन प्रक्रियाधीन	
	(ड़) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2025)	1502738	सत्यापन एवं भुगतान माह मार्च–अप्रैल 2026	
3.	**बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना**			
	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना।	PVCS – 534 संघ–07 फेडरेशन–01	• PVCS स्तर पर आधारभूत संरचना निर्माण–12 पूर्ण। 89 निर्माणाधीन। • तीनों संघ द्वारा सब्जी व्यवसाय में कुल टर्न ओवर– 100976 मे॰टन राशि–160 करोड़ रु॰	
4.	**कृषि रोड मैप (2023–28) के अंतर्गत राज्य योजना के तहत गोदाम निर्माण**			
	(क) वर्ष 2023–24 में गोदाम निर्माण	2 लाख मे॰टन	स्वीकृत 325 गोदाम (2.36 लाख मे॰टन) में से 165 पूर्ण, 160 निर्माणाधीन	
	(ख) वर्ष 2024–25 में गोदाम निर्माण	2 लाख मे॰टन	स्वीकृत 305 गोदाम (2.43 लाख मे॰टन) में से 47 पूर्ण, 258 निर्माणाधीन	
	(ग) वर्ष 2025–26 में गोदाम निर्माण	2 लाख मे॰टन	स्वीकृत 278 गोदाम (2.49 लाख मे॰टन) में से 2 गोदाम पूर्ण, 276 निर्माणाधीन	

5.	**समेकित सहकारी विकास परियोजना**		
	कार्यान्वित किये जा रहे जिले	मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णियाँ	48950.93 लाख रू॰ की लागत से।
6.	**अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण**		
	(क) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण। वर्ष 2024–25 (दिनांक–31.12.2025 तक)	सदस्य–69598	25684.25 लाख रूपये
	(ख) वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025)	सदस्य–32239	11599.59 लाख रूपये
7.	**पैक्सों में सदस्यता अभियान**		
	राज्यान्तर्गत 8463 पैक्सों में 1.39 करोड़ (एक करोड़ उनचालीस लाख) सदस्य है, जिसमें लगभग 38 लाख (अड़तीस लाख) महिलायें है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी योग्य व्यक्ति ऑन–लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है।		
8.	**मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना**		
	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो।	इस योजना के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रू0 की दर से कुल मो0–439.05 करोड़ रूपये प्राप्त है।	राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी गई है।
9.	**सहकार भवन**		
	सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक स्थान पर अवस्थित कराने के उद्देश्य से सहकार भवन का निर्माण।	राज्य योजना अन्तर्गत वर्तमान में 08 प्रमंडलीय मुख्यालय तथा 28 जिला मुख्यालय में योजना स्वीकृत है।	
10.	**पैक्स कम्प्यूटरीकरण**		
	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना को सहकारिता विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 9581 दिनांक 30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू किया गया है। पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल 149.40 करोड़ रूपए एवं राज्यांश के रूप में 99.60 करोड़ रूपए अर्थात कुल 249.00 करोड़ रूपए व्यय किया जाएगा। प्रथम चरण में 4477 पैक्सों में से 4476 Go-Live हो चुके है।		

2. योजनाएँ एवं उपलब्धियाँ

I. चतुर्थ कृषि रोडमैप वर्ष 2023–28 हेतु सहकारिता विभाग की प्राथमिकताएँ

परिचय

चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के विकास को समग्रता प्रदान करने हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि किसानों की कृषि एवं गैर–कृषि व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर संस्थागत रूप से निरंतरता के साथ की जा सके।

कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की भूमिका किसानों के लिए फसल चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा, कृषि उपादान (खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि साख आदि), भंडारण क्षमता का सृजन, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्यान्नों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता तथा सहकारी प्रक्षेत्र में संस्थागत विकास हेतु प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित की गई है। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के संदर्भ में सहकारिता विभाग के द्वारा प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त की गई है।

पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण–सह–कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ–साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य के कुल 8463 पैक्सों एवं 521 व्यापार मंडलों में से क्रमशः 6529 पैक्स/व्यापार मंडलों में गोदाम–सह–कार्यालय निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 17.015 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन किया गया हैं। साथ ही 04 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 468 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में राईस मिल की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जा रही है।

राज्य सरकार के द्वारा किसानों को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति (धान एवं गेहूँ) का कार्य पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को सौंपा गया है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति वर्ष 2024–25 में 4.63 लाख किसानों को 39.23 लाख एम.टी. धान की अधिप्राप्ति के विरूद्ध कुल 6722 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान अधिप्राप्ति वर्ष 2025–26 में अब तक 3.41 लाख किसानों से 23.34 लाख एम.टी. धान की अधिप्राप्ति किया गया है। किसानों से धान अधिप्राप्ति 28 फरवरी 2026 तक संचालित रहेगा।

राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के सदस्य किसानों के बीच अल्पकालीन ऋण वितरण का कार्य किसान क्रेडिट कार्ड (के॰सी॰सी॰) के माध्यम से किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड

पर भुगतेय ब्याज दर 07 प्रतिशत है, जिसपर ब्याज में 02 प्रतिशत अनुदान तथा समय पर ऋण भुगतान होने पर 03 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक 31.12.2025 तक कुल 32239 कृषकों को 115.99 करोड़ रुपये (एक सौ पन्द्रह करोड़ निन्यानबे लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है।

लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ सुनिश्चित कराने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का क्रियान्वयन जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 2970 चयनित पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित की जा चुकी है। अभी तक 2970 पैक्सों में कुल 16485 संयंत्रों का क्रय किया जा चुका है तथा 676 संयंत्रों का क्रय प्रक्रियान्तर्गत है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2018 से राज्य में लागू है। उक्त योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत एवं गैर–रैयत किसानों को फसल क्षति की स्थिति में लाभान्वित किया जाता है। खरीफ 2023–24 मौसम तक कुल 33.19 लाख किसानों के द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके तहत 2206.84 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। आगामी कृषि रोड मैप में नए फसलों, जैसे मखाना को इस योजना में समाहित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि मखाना उत्पादक किसानों को भी फसल क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा सके।

राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं उचित मूल्य पर सब्जी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना विभाग द्वारा संचालित है। बिहार राज्य अंतर्गत 534 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों में 73000 सदस्य आच्छादित हैं। अब तक सब्जी समितियों द्वारा 100976 एम॰टी॰ सब्जी का व्यवसाय कर 160 करोड़ रूपए का टर्न ओवर किया गया है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत सब्जी तथा शहद उत्पादक सहयोग समितियों को संस्थागत रूप से मजबूत करते हुए अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से सब्जी तथा शहद प्रक्षेत्र की संभावनाओं को मूर्त रुप देना शामिल है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप में राज्य के सभी पैक्सों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है। वर्तमान में राज्य के 4477 पैक्सों में से 4476 Go-Live हो चुके है। द्वितीय चरण में 2330 पैक्सों का चयन कर स्वीकृति हेतु सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित है।

कृषि रोडमैप वर्ष 2023–28 का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः–

भौतिक लक्ष्य (प्रस्ताव) –

क्र॰ सं॰	1	2	3	4	5	6	7
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	कुल
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि(क) किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)	80000	90000	100000	110000	120000	**5,00,000**
	(ख) साख प्रवाह (करोड़ में)	250	270	300	330	350	**1500**
2	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**10.00**
3	सहकारी समितियों द्वारा व्यवसाय विकास (क) कृषि आदानों की आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति	500	500	500	500	500	**2,500**
	(ख) अधिप्राप्ति (पैक्स एवं व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति कार्य में शामिल करने का लक्ष्य)	7500	7600	7700	7800	8000	–
4	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमतावर्धन (क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण।	नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन का जीर्णोद्धार।					
	(ख) पैक्स/व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)	600	600	600	600	600	**3,000**
	(ग) पैक्स प्रबंधकों/ सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण (संख्या)	500	2000	2000	2000	2000	**8,500**
	(घ) विभाग के अधिकारी/कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)	300	300	300	300	300	**1,500**
5	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	2000	2500	3553	–	–	**8053**
6	बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों का निबंधन/आच्छादन (लक्ष्य–लाख में)	25	28	30	32	35	**150**

वित्तीय लक्ष्य –

कार्यक्रम

लक्ष्य (राशि लाख में)

क्र॰ सं॰	1	2	3	4	5	6	7
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	कुल
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (राशि) (ख) वार्षिक साख प्रवाह ('क' की राशि सहित)	 25000 420000	 27000 440000	 30000 460000	 33000 480000	 35000 500000	 150000 2300000
2	अधिप्राप्ति	950000	950000	1000000	1050000	1100000	5050000
3	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन)	3761.60	3761.60	3761.60	3761.60	3761.60	18808.00
4	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन (क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण। (ख) पैक्स/व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (ग) पैक्स प्रबंधकों/सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण (घ) विभाग के अधिकारी/कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	 176 50 10 25	 141 50 10 25	 – 50 10 25	 – 50 10 25	 – 50 10 25	 317 250 50 125
5	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	6180	7725	10995	–	–	24900
	कुल (क्रमांक 3+4+5 का योग)	10202.60	11712.60	14841.60	3846.60	3846.60	44450.00

उपलब्धि

(राशि करोड़ में)

क्र॰ सं॰	1	2			3			4		
		2023–24			2024–25			2025–26		
		लक्ष्य	उपलब्धि	राशि	लक्ष्य	उपलब्धि	राशि	लक्ष्य	उपलब्धि	राशि
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या) (ख) वार्षिक साख प्रवाह ('क' की राशि सहित)	80000 250	83064 –	– 248	90000 270	69598 –	– 256.84	100000 300	32239 142.94	– 115.99 (31.12.2025)
2	अधिप्राप्ति	45 लाख मे0टन	30.79 लाख मे0टन	6798	45 लाख मे0टन	39.23 लाख मे0टन	9120	36.85 लाख मे0टन	23.34 लाख मे0टन (10.02.2026)	5162
3	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन)	2 लाख मे0टन	2.36 लाख मे0टन	1,69,39,73,000	2 लाख मे0टन	2.089 लाख मे0टन	1,47,37,78,916	2 लाख मे0टन	2.49 लाख मे0टन	1,80,19,77,688
4	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	2000	2000	–	2500	2477	54.92	2330 का चयन हेतु भारत सरकार को पत्र		

II. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कृषकों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है।

- कृषि विभाग में निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2025–26 के लिए 36.85 लाख मे॰ टन धान क्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 2025–26 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 2369/– रुपये एवं ग्रेड A धान के लिए 2389/– रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया है।
- इस वर्ष भी किसानों को गनी बैग मद में रू० 25/– प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान राज्य सरकार के मद से किया जा रहा है, जिसका लाभ किसानों को लगातार प्राप्त हो रहा है।
- रैयत कृषकों के लिए धान बिक्री की सीमा को प्रति कृषक 250 क्विंटल एवं गैर–रैयत कृषकों के लिए प्रति कृषक 100 क्विंटल किया गया है ।
- अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु Online Procurement Management System के अन्तर्गत Mobile Application विभागीय पोर्टल e-Sahkari माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन, पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही, इसे (Central Food Grains Procurement Portal) CFGPP पर भी अद्यतन किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में इस वर्ष किसानों का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन 48 घण्टे के भीतर किये जाने का प्रावधान है।
- इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु 7000 करोड़ रुपये ऋण हेतु राजकीय गारंटी देने की कार्रवाई की जा रही है।
- किसानों को अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने एवं उनके शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष संख्या 0612–2200693 है।
- पारदर्शी व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान एवं उसके भुगतान सहित सभी प्रकार के आंकड़े Public Domain के माध्यम से सर्वसुलभ किये गये है।

खरीफ विपणन मौसम	धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य (लाख मे०टन)	लाभान्वित किसानों की संख्या (लाख मे)	उपलब्धि (मात्रा लाख मे०टन)
2024–25	45.00 (सांकेतिक)	4.63	39.23
2025–26	36.85 (सांकेतिक)	3.41	23.34 (10.02.2026)

III. बिहार राज्य फसल सहायता योजना

- राज्य सरकार द्वारा खरीफ–2018 मौसम से "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू की गई है।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में ह्रास की परिस्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।
- इस योजना का लाभ अन्य योजनाओं यथा–कृषि इनपुट अनुदान योजना एवं डीजल अनुदान योजना के लाभार्थियों को भी प्राप्त होगा।
- योजना के तहत् आवेदन करने हेतु किसानों को किसी प्रकार के शुल्क/प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है।
- इस योजना के तहत अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी किसानों को DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते मे भुगतान किया जाता है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना की प्रगति

मौसम	निबंधित किसानों की संख्या				लाभार्थी किसानों की संख्या एवं राशि		अभ्युक्ति
	कुल	रैयत	गैर–रैयत	रैयत एवं गैर–रैयत	संख्या	राशि (करोड़ में)	
खरीफ 2023	1596950	78256	858934	659760	128201	122.52	
रबी 2023–24	775391	40730	378094	356567	54790	38.76	
खरीफ 2024	959502	64483	451751	443268	भुगतान प्रक्रियाधीन		
रबी 2024–25	849175	29796	769844	49535	सत्यापन प्रक्रियाधीन		
खरीफ 2025	1502738	43238	779427	680073	सत्यापन एवं भुगतान माह मार्च–अप्रैल 2026		

IV. सहकारी अधिसंरचना

(क) भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि

कृषि रोड मैप (2023–28) में पैक्स/व्यापार मंडल में विभिन्न क्षमता के गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी 8463 पैक्स एवं 523 व्यापार मंडल का अपना गोदाम उपलब्ध हो सके।

वर्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6529 (पैक्स/व्यापार मंडलों में 1000/500/200 मे॰टन क्षमता) का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 17.015 लाख मे॰टन है, जबकि 726 गोदाम निर्माणाधीन है।

(ख) धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

राज्य में पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के प्रसंस्करण हेतु कृषि रोड मैप में कुल 497 चावल मिल गैसीफायर संयंत्र के साथ RKVY योजना के माध्यम से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 431 चावल मिल–सह–गैसीफायर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है।

(ग) ड्रायर की स्थापना

पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबंधन हेतु राज्य में पूर्व से स्थापित चावल मिल के साथ विभाग द्वारा 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल 220 स्वीकृत ड्रायर में से 104 ड्रायर स्थापित हो चुके है, शेष प्रक्रियाधीन है।

V. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की अवधारणा की गई है, जिसमें प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसानों को सम्मिलित कर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, कुछ जिलों के प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समितियों को मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ तथा राज्य स्तर पर फेडरेशन गठित किया गया है। वर्तमान में 32 जिला, 07 यूनियन (हरित, तिरहुत, मिथिला, मगध, भागलपुर, मुंगेर एवं सारण) एवं राज्य स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (वेजफेड) कार्यरत है।

राज्यान्तर्गत 534 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। उ
तक 55000 से अधिक सब्जी उत्पादक किसान सदस्य इन प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहक
समितियों के माध्यम से जुड़ चुके हैं। सदस्यता को सुविधाजनक, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने
उदेश्य से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।

प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक समितियों में 10,000 वर्ग फीट भूमि पर स्थानीय उपभोक्ता
के लिए सब्जी हाट के साथ–साथ प्रबंधन कार्यालय, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग– ग्रेडिंग शे
सब्जी वाहनों के लिए लिफ्टिंग प्लेटफार्म आदि के निर्माण के साथ–साथ आवश्यक उपकरणों व
व्यवस्था की जानी है। सहकारी संघ पूरे प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था के केन्द्र के रूप में का
करेगा। उक्त सहकारी संघ प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों से प्राप्त सब्जी का शीत संग्रह
प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन व्यवस्था का कार्य करेगा।

सदस्यता को सुविधाजनक, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाईन आवेदन क
सुविधा प्रदान की गई है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत सिविल संरचन
का निर्माण कार्य 12 PVCS में पूर्ण हो चुका है एवं 89 में निर्माणाधीन है।

साथ ही, किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों के लिए बाजार पहुँच सुनिश्चित करने तथा उचित
मूल्य दिलाने के उद्देश्य से PVCS में तरकारी आउटलेट का निर्माण, प्याज भण्डारण हेतु PVCS मे
50 MT क्षमता का गोदाम निर्माण, सब्जियों के रख–रखाव, सब्जी विपणन की परिचालन क्षमता बढ़ाने
हेतु कैरेट्स वितरण की योजना के तहत चार सब्जी संघ द्वारा कुल 43000 कैरेट्स की खरीद एव
सब्जियों एवं प्रसंस्कृत खाद्य को उचित भण्डारण, बाजार एवं सब्जी उत्पादक किसानों को विपणन
की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार सब्जी संघों यथा तिरहुत, हरित, मिथिला एवं मगध में
750 MT क्षमता के बहुउद्देशीय शीत भण्डारण इकाई का निर्माण कराया जा रहा है।

इस योजना का ब्रांड–**"तरकारी"** है। संघों द्वारा संस्थागत एवं खुदरा बिक्री के माध्यम से
सब्जी बिक्री का कार्य संचालित है। हरित संघ, तिरहुत संघ, मिथिला संघ, मगध संघ, भागलपुर संघ,
मुंगेर संघ एवं सारण संघ द्वारा अबतक (दिनांक–02.01.2026 तक) 100976 मे॰टन॰ सब्जी व्यवसाय
में 160 करोड़ रूपये का Turn over किया गया। प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति द्वारा की
गई सब्जी के क्रय आदेश को देखने एवं उक्त आदेश के विरूद्ध सब्जी आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के
बारे में सूचना देने के लिए सदस्य किसानों के लिए Tarkaari Portal विकसित की गई है।

यह योजना बिहार राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

VI. समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य में सहकारिता को सबल बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से समेकित सहकारी विकास परियोजना चलायी जा रही है। इस परियोजना के तहत जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों/व्यापार मंडलों में निम्नांकित कार्य किए गए है:–

- अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय)।
- व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास।
- मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का विकास।

इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक (साख), विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है।

इस परियोजना के तहत् मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यावहारिक पक्षों का ज्ञान हो, जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना

पूर्व में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

(राशि लाख रु॰ में)

क्रम	जिला का नाम	ऋण	हिस्सा पूंजी	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय 15.12.2025 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	गोपालगंज	295.620	631.620	292.000	1,219.240	1,153.910
2	मधुबनी	287.650	704.470	212.800	1,204.920	1,179.070
3	गया	313.340	607.680	215.390	1,136.410	1,059.180
4	सीतामढ़ी	299.150	517.700	218.630	1,035.480	1,019.670
5	भोजपुर	304.680	645.950	162.600	1,113.230	1,080.760
6	सारण	280.600	673.500	205.620	1,159.720	1,068.980

7	सीवान	296.570	683.080	164.570	1,144.220	1,090.670
8	कैमूर	750.720	40.770	337.110	1,128.600	1,084.550
9	खगड़िया	1,055.250	68.490	468.110	1,591.850	1,183.550
10	शिवहर	698.800	131.280	355.270	1,185.350	984.000
11	वैशाली	2,664.690	334.125	1,257.935	4,256.750	3,503.700
12	नालंदा	2,070.512	293.950	956.758	3,321.220	2,796.770
13	जहानाबाद	605.07500	605.07500	242.080	1,452.230	1,271.110
14	अररिया	1,572.55000	1,572.55000	402.250	3,547.350	2,938.112
कुल योग :		**11,495.207**	**7,510.240**	**5,491.123**	**24,496.570**	**21,414.032**

वर्तमान में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

(राशि लाख में)

क्रम	जिला का नाम	कुल लागत राशि				कुल प्राप्त राशि	अबतक कुल व्यय की गयी राशि
		ऋण/चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी/एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	10
1	पूर्वी चंपारण	**4,157.35000**	**2,316.92000**	**2,377.46000**	**8,851.73000**	**8,472.56000**	**7,247.88553**
2	औरंगाबाद	**5,422.02000**	**2,857.26000**	**3,029.26000**	**11,308.54000**	**6,374.41000**	**4,930.97000**
3	बेगूसराय	**2,903.81500**	**1,486.51800**	**1,846.23200**	**6,236.56500**	**5,248.08900**	**3,745.92200**
4	पश्चिमी चंपारण	**3,925.66750**	**1,999.28375**	**2,397.17375**	**8,322.12500**	**4,112.73000**	**1,669.43300**
5	दरभंगा	**4,050.70000**	**2,025.35000**	**2,483.13000**	**8,559.18000**	**5,433.88100**	**2,700.20809**
6	पूर्णियाँ	**2,633.62000**	**1,363.68500**	**1,689.54500**	**5,686.85000**	**3,975.31050**	**2,773.67460**
7	रा॰अनु॰को॰	-	-	**331.00000**	**331.00000**	**238.91000**	**238.91000**
कुल योग :		**23,093.17250**	**12,049.01675**	**14,153.80075**	**49,295.99000**	**33,855.89050**	**23,307.00322**

समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत अन्य उपलब्धियाँ

- 52 समितियों में चावल मिल की स्थापना।
- 56 समितियों में गैसीफायर सहित चावल मिल की स्थापना।
- 322 समितियों में पूर्व से निर्मित गोदाम की मरम्मति।
- 73 समितियों में प्याज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण।
- 8 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 145 समितियों में कम्पोजिट यूनिट इकाई की स्थापना
- 5 समितियों में दाल मिल की स्थापना।
- 37 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना।
- 787 वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना।
- 15 कार्यालय –सह– बिक्री केन्द्र की स्थापना।
- 01 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना।
- 09 सब्जी विपणन केन्द्र की स्थापना।
- 01 मधु प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।
- 20 ई–सेंटर की स्थापना।
- 60 मुर्गी पालन केन्द्र की स्थापना।
- खगड़िया जिला में 01 सूर्यमुखी प्रोसेसिंग इकाई, 01 सोयाबीन प्रोसेसिंग इकाई एवं 02 मुर्गी दाना आहार इकाई की स्थापना।
- नालंदा जिला में 05 समितियों में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना।
- मधुबनी जिला में 01 समिति में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना।
- सीवान जिला में 01 बुनकर सहयोग समिति में गैसीफायर की स्थापना।
- भोजपुर (आरा) जिला में 01 व्यापारमंडल में एल॰पी॰जी॰ गोदाम की स्थापना।
- 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 46 बुनकर सहयोग समितियाँ को शेड, लूम, डाई प्लांट इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता।
- 200 समितियों को सिंचाई हेतु पंप सेट (बोर बेल) के लिए आर्थिक सहायता।
- 252 मत्स्य पालकों को हेचरी, जाल, बोट, आईस बॉक्स के साथ साइकिल हेतु आर्थिक सहायता।
- 310 मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सहायता।
- 3 समितियों को फलोरिकल्चर हेतु आर्थिक सहायता।
- 3 समितियों को फल–सब्जी के विपणन हेतु आर्थिक सहायता।
- 50 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता

VII. सहकार भवन

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में यथा–जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हेतु चरणबद्ध तरीके से सभी 38 जिलों के लिए सहकार भवन के निर्माण की योजना है। इस भवन में सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थान आवंटन किया जायेगा। प्रमंडल एवं जिला मुख्यालयों में तीन मंजिला (G+2) सहकार भवन निर्माण कराया जायेगा। जिला मुख्यालय में सहकार भवन निर्माण हेतु लागत राशि रू० 417.07 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख सात हजार रु०) एवं प्रमंडल मुख्यालय में सहकार भवन निर्माण हेतु लागत राशि रू० 611.07 लाख (छः करोड़ ग्यारह लाख सात हजार रु०) है। कुल–36 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 04 प्रमंडलीय मुख्यालयों एवं 18 (अठारह) जिला मुख्यालयों में सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

VIII. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है, जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि संभव हो। इस योजना के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रुपये की दर से कुल मो॰ 439.05 करोड़ रुपये प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रुप में राशि उपलब्ध करायी जा रही है। पैक्सों को ऋण के रुप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) अर्द्धवार्षिक किस्तों में ब्याज सहित वसूल की जानी है।

योजनान्तर्गत पूर्व में प्रावधानित राशि का संपूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण मंत्रिपरिषद् द्वारा अवशेष राशि का उपयोग अर्हता पूरी करने वाले प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना के तहत् अब तक 2970 पैक्सों द्वारा GeM Portal पर विभिन्न प्रकार के 17050 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किया गया है तथा 16848 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है। पैक्सों को विभिन्न प्रकार के 16494 कृषि यंत्रों की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित है–

- प्रतिस्पर्धात्मक दर पर लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच संभव।
- कृषि यंत्रों के चयन में पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को प्राथमिकता।
- योजनान्तर्गत पैक्सों द्वारा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार/ कृषि संयंत्रों का पारदर्शिता एवं मितव्ययिता के दृष्टिकोण से GeM Portal के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर क्रय।
- किसानों द्वारा कृषि यंत्रों को किराये पर प्राप्त करने हेतु ऑफ लाईन के साथ–साथ Mobile App के माध्यम से ऑन लाईन बुकिंग की व्यवस्था।

IX. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2025–26 के लिए राज्य स्कीम एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत 109740.53 लाख रू॰ (पुनरीक्षित) का बजट उपबंध उपलब्ध है जिसके विरूद्ध **63106.55** लाख रू॰ का व्यय किया गया।

वर्ष 2025–26 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :– (05.02.2026 तक)

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम		उपबंधित राशि			व्यय की गयी राशि
			संशोधित उपबंध	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	2		3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्त्ति)		0.10		0.10	
2.	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		0.10		0.10	
3.	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रीमियम)		0.10		0.10	
4.	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		0.10		0.10	
5.	बिहार राज्य फसल सहायता योजना		28737.40		28737.40	26802.3
6.	एन॰सी॰डी॰सी॰ सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना		0.00		0.00	
7.	सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति		350.00		350.00	21.20
8.	विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण		800.00		800.00	520.03
9.	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार		400.00		400.00	113.20
10.	सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय		2200.00		2200.00	731.13
11.	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान		18400.00		18400.00	17144.11
12.	बिहार राज्य भण्डार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान		1500.00		1500.00	938.16
13.	बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि हेतु ऋण (अधिप्राप्ति)		0.10		0.10	
14.	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (अनुदान)		7500.00		7500.00	4090.86
15.	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (निवेश)		3750.00		3750.00	2333.48
16.	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (ऋण)		3750.00		3750.00	2333.48
17.	केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान		2000.00		2000.00	
18.	केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिस्सा–पूँजी में अंशदान		0.10		0.10	
19.	सहकारिता विभाग के भवनों का निर्माण (माँग सं॰–03)		9000.00		9000.00	861.00
20.	पैक्सों/व्यापारमंडलों में ड्रायर निर्माण हेतु अनुदान		0.10		0.10	
21.	शहद आधारित सहयोग समितियाँ का प्रोत्साहन (अनुदान)		750.00		750.00	
22.	शहद आधारित सहयोग समितियाँ का प्रोत्साहन (निवेश)		250.00		250.00	
23.	विपणन से संबधित सहयोग समितियों का प्रोत्साहन (अनुदान)		2250.00		2250.00	
24.	विपणन से संबधित सहयोग समितियों का प्रोत्साहन (निवेश)		750.00		750.00	
25.	बुनकर से संबधित सहयोग समितियों का प्रोत्साहन (अनुदान)		750.00		750.00	
26.	बुनकर से संबधित सहयोग समितियों का प्रोत्साहन (निवेश)		250.00		250.00	
27.	सहकारी समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण हेतु व्यय		550.00		550.00	9.73
28.	सहकारी समितियों को अनुदान		2000.00		2000.00	1600.00
29.	प्रबंधकीय अनुदान		15000.00		15000.00	5247.87
30.	मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना		397.00		397.00	360.00
केन्द्र प्रायोजित योजना						
31.	निबंधक, स॰ स॰ एवं जिला स्तरीय कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेर डेवलपमेन्ट (100%) केन्द्रांश		116.53		116.53	
32.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	केन्द्रांश				
		राज्यांश	0.00		0.00	
33.	पैक्स कम्प्यूटरीकरण	केन्द्रांश	6631.00		6631.00	
		राज्यांश	1657.90		1657.90	
(क) राज्य स्कीम का योग			**109740.53**		**109740.53**	**63106.55**

X. पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण की योजनाएँ

सहकारिता में सर्वसमावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है। सहकारी समितियों को गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (GeM) पर लाना, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण, बहु–राज्य सहकारी समिति, पैक्सों को बहु–उद्देश्यीय सहकारी समिति के रूप में विकसित करना, पैक्सों में जन–औषधि केन्द्र की स्थापना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य हो रहे है। इन योजनाओं के अतिरिक्त पैक्सों में आदर्श उपविधि लागू करना, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के निर्माण भी पैक्सों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

पैक्सों में कॉमन सर्विस केन्द्र की स्थापना

ई–सेवाओं की बेहतर पहुँच के लिए पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत पैक्स ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएँ, कानूनी सेवाएँ, कृषि उपकरण जैसे कृषि उपादान, पैन कार्ड, आईआरसीटीसी, रेल, बस, हवाई टिकट बुकिंग, आरटीपीएस पर उपलब्ध सेवाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना पैक्सों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करने में मदद करेगा।

अब तक 6300 पैक्सों को कॉमन सर्विस केन्द्र के रूप में ऑनबोर्ड किया जा चुका है, जिसमें से 5316 समितियाँ क्रियाशील हैं। अभी तक पैक्स द्वारा 6 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया गया है।

पैक्सों के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का कार्य लिया गया है। पैक्स भी अब FPO के रूप में कृषि संबंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होंगे। इसके माध्यम से सहकारी समिति अपने सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 100 पैक्सों में FPO निबंधित करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 100 पैक्सो का निबंधन 2024–25 में हो चुका है। 100 किसान उत्पादक संगठन (FPO) को 15 cluster में बाँट कर PIT (प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग टीम) का गठन किया गया है।

पैक्सों में जन औषधि केन्द्र की स्थापना

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पैक्सों में जन औषधि केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत् सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सामान्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो जाएगी। इस योजना के तहत् उत्पाद बास्केट में 2125 दवाएं और 314 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जिन्हे जन औषधि केन्द्र के माध्यम से बेचा जा सकता है।

अभी तक इस योजना के तहत् 56 पैक्सों द्वारा ड्रग लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 30 पैक्सों को ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है एवं 26 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में पैक्स

पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाए जाने, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों व उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इन प्रयासों से किसानों को पैक्स स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चत होगी तथा पैक्स के लिए व्यवसाय के नए अवसर सृजित होंगे।

बिहार में 2302 पैक्सों को खाद बीज व्यवसाय की अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जिसमें से अभी तक 1696 पैक्सों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में विकसित किया जा चुका है। 1198 पैक्स अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया है एवं अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन दिया गया है।

पैक्सों में Micro-ATM एवं सदस्यों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा

पैक्सों को व्यापार में सुगमता, पारदर्शिता, वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने हेतु नाबार्ड के सहयोग से 'घर बैठे वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए Micro-ATM दिए जाने की योजना है। इससे बैंक और पैक्सों के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी। 447 सहकारी समितियों को Deposit Mobilization Agent (DMA) के रूप में विकसित कर 343 सहकारी समितियों को Micro-ATM उपलब्ध कराया गया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर डोर–स्टेप बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध की जा रही है।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच तथा क्षमता का विस्तार करने तथा पैक्सों के सदस्यों को यथावश्यक चल निधि उपलबध कराने हेतु संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स सदस्यों के खाते खोले जा रहें हैं तथा नाबार्ड के सहयोग से खाताधारकों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। Rupay किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैक्स सदस्यों को उचित दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

बहुराज्यीय सहकारी समिति की सदस्यता के संबंध में

सहकार से समृद्धि को साकार करने हेतु भारत सरकार ने मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटी एक्ट, 2002 के तहत नेशनल एक्सपोर्ट को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि० (NCEL), नेशनल ऑगेनिक को–ऑपरेटिव सोसाईटी (NCOL) एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लि० (BBSSL) की स्थापना को मंजूरी दी है। वर्तमान में NCOL के तहत 400 समितियों द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन दिया गया है जिसमें से 255 समितियों को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है, NCEL के तहत 436 समितियों द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन दिया गया है जिसमें से 290 समितियों को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है एवं BBSSL के तहत 4987 समितियों द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन दिया गया है जिसमें से कुल 2165 समितियों को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है।

3. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियॉ

सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

कृषि पर निर्भर रहने वाले विशेष कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रबी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने, कृषि इनपुट की व्यवस्था करने तथा कृषि उपज की विपणन की व्यवस्था सहकारिता विभाग के माध्यम से की जा रही है तथा सहकारिता विभाग इसमें सतत् प्रयत्नशील है।

I. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों का अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के निमित्त सहकारी समिति की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, जिला स्तर पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारंभ से अब तक 11,65,810 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 196042.87 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को Debit-cum-Rupay कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन की परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से वैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया जा रहा है।

विगत् 3 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है:–

(राशि लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	सदस्य की संख्या	उपलब्धि	लक्ष्य के अनुरुप उपलब्धि का प्रतिशत
2023–24	49669	83064	24800.00	49.93 %
2024–25	58700	69598	25684.25	43.76 %
2025–26 (31.12.2025 तक)	68137.52	32239	11599.59	17.02 %

विगत 3 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण का माँग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है:–

(रुपये लाख में)

वर्ष	मॉग	वसूली	अवशेष	प्रतिशत
2022–23	71662.53	11999.51	59663.02	16.74 %
2023–24	75098.51	19657.33	55441.18	26.18 %
2024–25	79427.01	24909.75	54517.26	31.36 %

II. राज्य सहकारी बैंक लि0

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनान्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 13 शाखायें कार्यरत हैं, जो पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा वैयक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत् कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन आया है, जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रबी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके के लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है। वर्तमान में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियामक मापदण्डों का अनुपालन कर रहा है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत है:–

(राशि लाख में)

Sl. No.	Particulars	As on 31-03-2022	As on 31-03-2023	As on 31-03-2024	As on 31-03-2025
1	Deposits	130784.44	144744.35	184192.1	229739.6
2	Loan Outstandig	**436325.02**	**592977.11**	**446097.59**	**527824.57**
3	Share Capital	4226.74	4777.62	10000	10000
4	Reserve & Surplus	72132.62	79494.87	89474.16	97660.38
5	Borrowings	436239.59	631335.67	340719.74	556719.74
6	**Gross NPA**	**10150.75**	**12817.43**	**14027.72**	**14374.68**
7	**NPA %**	**2.32%**	2.16%	3.14%	2.72%
8	CRAR	**53.24%**	48.87%	67.95%	54.43%
9	**Net Profit**	**10419.37**	**7615.85**	**6763.67**	**7818.20**

III. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्तपोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 23 (तेईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनकी शाखा कम्प्यूटरीकृत हैं। साथ ही, सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है:–

(राशि लाख में)

क्र. सं.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	जमा	लोन और एडवांसेज आउटस्टैंडिंग	शेयर पूँजी	आरक्षित और अधिशेष	उधार राशि
1	नालन्दा	22707.9	31385.11	994.17	1616.75	21606.92
2	पाटलिपुत्र	46151.5	33742.28	1093.46	7710.43	30541.85
3	मगध	12934.6	43622.48	1816.41	2143.79	37831.71
4	नवादा	13285.7	30532.89	3886.39	2772.31	22287.41
5	आरा	60342.1	36379.96	1748.97	1897.17	31089.75
6	सासाराम–भभुआ	24388.5	70536.28	4412.63	317.24	61874.25
7	भागलपुर	20267.1	28640.81	8802.36	5780.31	24109.51
7	मुंगेर–जमुई	14498.2	36383.79	5984.65	997.49	29684.31
8	बेगूसराय	24966.7	10328.25	959.69	1875.09	8964.14
9	पूर्णिया	13819	34849.37	3971.02	3370.43	29284.38
10	मुजफ्फरपुर	8354.91	11085.22	525.71	466.97	9845.06
11	सीतामढ़ी	15189.9	10071.78	372.84	1581.88	8351.04
12	रोहतास	10691	25787.74	3953.87	2659.76	24810.35
13	बेतिया	17837.4	22041.34	718.88	2667.22	13224.58
14	मोतिहारी	11324.4	24858.36	1984.57	3201.87	25081.55
15	सीवान	42121.4	25436.35	999.27	1980.91	14125.35
16	गोपालगंज	41317.17	13167.23	1244.15	5674.99	13230.28

17	औरंगाबाद	14024.9	42147.39	2345.98	3216.6	33926.36
18	खगड़िया	2878.5	4564.69	942.87	1323.72	11562.16
19	कटिहार	6390.14	13974.00	3713.67	994.01	10992.51
20	वैशाली	7762.78	5966.47	1046.35	1887.09	3877.59
21	समस्तीपुर	13628.6	17976.72	1077.51	785.96	12064.41
22	सुपौल	2710.77	16237.74	834.22	645.77	16033.45
23	बीएससीबी	229740	527824.57	10000.00	97660.4	556719.74
	कुल	**677332.71**	**3826788.66**	**63429.64**	**153228.14**	**1051118.66**

IV. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

राज्य के कृषकों के साथ–साथ राज्य के विकास का आधार स्तंभ है। पैक्स का प्रबंधन 13 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता हैं, जिनका निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्ष पर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाता है। पैक्स के प्रबंध समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। 02 पद पिछड़ा वर्ग, 02 पद अतिपिछड़ा वर्ग, 02 पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

पैक्स का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के लिए आगत (Input) की व्यवस्था करना एवं उनके उत्पादों के विपणन में सहयोग करना है। इस क्रम में पैक्स द्वारा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की प्राथमिक इकाई के रूप में अपने सदस्यों को सहकारी बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, उर्वरक, बीज, कीटनाशक इत्यादि की उपलब्धता हेतु भी कार्य किया जाता है। पैक्सों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा लघु एवं सीमान्त कृषकों तक पहुँचाया जा रहा है। पैक्सों द्वारा जमावृद्धि व्यवसाय एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानों का भी संचालन किया जाता है।

पैक्सों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में सरकार द्वारा संचालित अधिप्राप्ति कार्य के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके उत्पादों (धान/गेहूँ) का क्रय किया जाता है। पैक्सों द्वारा सभी लघु एवं सीमांत किसानों तक कृषि कार्य संबंधी सभी सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। राज्य में पैक्सों में सदस्यता वृद्धि–सह–सहकारी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

V. सहकारी ऋण वितरण

Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत ऋण वितरण–

राज्य में वर्ष 2023–24 में Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 6178 करोड़ के विरूद्ध 7732 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 125 प्रतिशत है। वर्ष 2024–25 में Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 8619 करोड़ के विरूद्ध 13027.91 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 151.15 प्रतिशत है।

किसान क्रेडिट कार्ड :–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 83064 कृषकों को 247.94 करोड़ रु० का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 69598 कृषकों को 256.84 करोड़ रू0 (दो सौ छप्पन करोड़ चौरासी लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक 31.12.2025 तक कुल 32239 कृषकों को 115.99 करोड़ रू0 (एक सौ पन्द्रह करोड़ निन्यानबे लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है।

4. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण, वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन/त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों के अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के अलावे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें परिपत्रानुसार समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

वर्तमान वर्ष 2024–2025 एवं विगत् 02 वर्षों (2022–2023 एवं 2023–24) में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है :–

क्र०सं०	समितियों की कुल संख्या		अंकेक्षण वर्ष	अंकेक्षण की स्थिति	
	पैक्स	व्यापार मंडल		पैक्स	व्यापार मंडल
1	8463	523	2022–23	8200	429
2			2023–24	7913	408
3			2024–25	5789	232
					(12.01.2026 तक)

साथ ही केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत सभी पंचायत पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। प्रथम चरण में चयनित कुल 4477 पैक्सों का वर्ष 2024–25 का सिस्टम ऑडिट किया जा रहा है, जिनमें दिनांक 11.01.2026 तक 4122 पैक्सों का सिस्टम ऑडिट संपन्न हो चुका है। शेष पैक्सों का सिस्टम ऑडिट प्रगति में है।

5. प्रशिक्षण एवं कार्यशाला

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 25 नवप्रोन्नत सहायक निबंधक एवं अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारी का प्रशिक्षण BIPARD गया जी में कराया गया 54 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का 12 साप्ताहिक प्रशिक्षण DNSRICM में कराया गया, 13 अंकेक्षक का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण, 214 अंकेक्षकों का चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण DNSRICM में कराया गया। प्रखंड में पदस्थापित 204 कार्यपालक सहायक का ERP Software से संबंधित प्रशिक्षण DNS में कराया गया। 55 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का प्रशिक्षण CTC पूसा में कराया गया। 600 मुख्य/वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का Exposure visit VAMNICOM/LINAC में कराया गया। 370 अंकेक्षकों का पैक्स कम्प्यूटराइजेशन से संबंधित प्रशिक्षण DNS में कराया गया। 45 लिपिक का प्रशिक्षण BIPARD पटना में कराया गया।

30 बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का IIM Indore में एवं 80 बिहार सहकारिता प्रशासनिक एवं अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारी का LINAC, गुरूग्राम में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित हैं।

दिनांक 30.06.2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन–सह कार्यशाला का आयोजन बापू सभागार, गाँधी मैदान, पटना में किया गया, जिसमें विभाग से जुड़े हुए सहकारी समितियों के उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

8053 पैक्सों में विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार सहकारी चौपाल आयोजित कर नुक्कड़–नाटक के माध्यम से किया गया।

राज्य में गया जी जिले के डोभी प्रखंड में बिहार सहकारिता महाविद्यालय सह शोध संस्थान का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि हस्तान्तरण की गई है एवं चाहरदीवारी का कार्य प्रारंभ है।

राज्य में एक मात्र सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा समस्तीपुर में कार्यरत है। संस्थान के सम्पूर्ण परिसर को पुनर्जीवित एवं सुसज्जित कर समिति अध्यक्ष/प्रबंधकों एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

आगामी वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों को व्यावसायिक विविधीकरण से संबंधित प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत रूप से प्रमंडल/जिला स्तर पर कराया जाना प्रस्तावित है।

6. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

I. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1955–56 में हुई है, जिसमें प्रशासनिक भवन के साथ–साथ प्रशिक्षणार्थियों के आवास की सुविधा उपलब्ध है। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर में छात्रावास भवन को G+1 बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस संस्थान के सफल संचालन हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में एक संचालन कमिटी गठित है, जिसके सचिव प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा हैं, तथा सदस्य के रूप में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर एवं प्रबंध निदेशक, समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ नामित हैं।

II. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

III. व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन की केन्द्रीय सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मडलों की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 539 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

7. बिहार राज्य भंडार निगम

वित्तीय वर्ष 2025–26 में निगम की उपलब्धि एक झलक में :–

बिहार राज्य भंडार निगम (Bihar State Warehousing Corporation) केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का एक संयुक्त लोक उपक्रम है, जो विशेष केन्द्रीय विधान दी वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 (The Warehousing Act, 1962) एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन संचालित है।

1. स्थापना :

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) पटना की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण निगम अधिनियम, 1956 (Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956) के अधीन केन्द्रीय भंडार निगम (CWC) के अनुमोदन के पश्चात् मार्च, 1957 में बिहार सरकार विकास (सहकारिता) विभाग की अधिसूचना संख्या–3330 दिनांक 29.03.1957 के द्वारा हुई। उक्त अधिसूचना के द्वारा इसका मुख्यालय, पटना में निर्धारित किया गया। कालक्रम में Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956 के स्थान पर Warehousing Act 1962 लागू हुआ, जिसके अन्तर्गत सम्प्रति बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (बिहार राज्य भंडार निगम अर्थात BSWC) कार्यरत है। बिहार राज्य भंडार निगम को बिहार सरकार, सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–3250 दिनांक 12.12.1996 के द्वारा ''राज्य भंडारण एजेंसी'' के रूप में घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, लोक उद्यमों एवं उपक्रमों को यह निदेशित किया गया है कि भविष्य में वे अपने स्तर से निजी गोदामों को भाड़ें पर नहीं लेंगे बल्कि वे स्थायी रूप से अपनी आवश्यकता बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को अधिसूचित करेंगे।

2. कार्य:

- राज्य में कृषि उत्पादों/खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीज तथा कृषि संयंत्रों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु गोदाम का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के संचयन के लिए राज्य में गोदामों का परिचालन करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए परिवहन एवं हथलन व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के एजेन्सी के रूप में कृषि उत्पाद एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय, भंडारण एवं वितरण में सहयोग करना।
- सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्धरित कार्यों का संपादन।

3. हिस्सा पूँजी/अंश–पूँजी (Share Capital & Paid up Capital) %

निगम का अधिकृत अंश पूँजी 10.00 करोड़ है। निगम में केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार का क्रमशः 50:50 प्रतिशत हिस्सा पूँजी है। संप्रति केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी 642.00 लाख है, जिसकी विवरणी अग्रांकित है:–

हिस्सा पूँजी (**Share Capital**)	(लाख रूपये में)
केन्द्रीय भंडारण निगम	500.00
बिहार सरकार	500.00
कुल रु.	1000.00
प्रदत्त अंश पूँजी (**Paid up Capital**)	
केन्द्रीय भंडारण निगम	321.00
बिहार सरकार	321.00
कुल रु.	642.00

4. मुख्य सामग्रियों का भंडारण :

खाद्यान्न, दवा, उर्वरक, सीमेंट, दाल, बीज, जूट, सूर्यमूखी बीज, नीरा, उड़द, मसूर, डी.डी.टी. अभियंत्रण सामग्री, पुस्तक, कागज, तौलाई मशीन, मतपेटी आदि।

5. मुख्य जमाकर्त्ता

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफको, जनगणना निदेशालय, आर.सी.एफ. लि०, पुस्तक निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, कॉम्फेड, सब्जी प्रसंस्करण निगम, व्यापारी, कृषक, बिहार मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० अल्ट्राटेक, ओरिगो लिमिटेड इत्यादि। सम्प्रति निगम का अधिकांश गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षित है।

6. अद्यतन भंडारण क्षमता

- अद्यतन भंडारण क्षमता :– 7.93 लाख मे0 टन।
- अद्यतन गोदाम उपलब्धता विवरणी:–

(क)	निगम द्वारा स्वनिर्मित गोदाम	2,09,493 में. टन
(ख)	कृषि रोड मैप योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	3,10,000 मे. टन
(ग)	पी.ई.जी. योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	85,000 मे. टन
(घ)	किराया का गोदाम (बिहार)	95,674.82 मे. टन
(ङ)	किराया का गोदाम (झारखंड)	22,435.00 मे. टन
(च)	PWS गोदाम	70,000.00 मे. टन
	कुल क्षमता	**7,92,602.82 मे.टन**

7. भंडारण शुल्क :–

बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम का संसूचित दर सामान्य रूप से प्रभावी है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के संदर्भ में यथानिदेशित दर व्यवस्था

है। वर्तमान भंडारण शुल्क विवरणी अग्रानुसार है :–

खाद्यान्न	रु. 102.00 प्रति मे. टन प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम)
	रु. 5.10 प्रति 50 किलाग्राम बोरा प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम)
	रु. 64.00 प्रति मे. टन प्रति माह (राज्य खाद्य निगम)
उर्वरक	रु. 80.00 प्रति मे. टन प्रति माह (CWC दर पर)
क्षेत्रफल दर	रु. 21.00 प्रति वर्गफीट प्रति माह (CWC दर पर)

- **मानव बल :–**

  कुल स्वीकृत – 527

  निगम में कार्यरत कुल मानव बल (नियमित/संविदा/सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्त/बेल्ट्रॉन से संविदा पर प्रतिनियुक्त/आउटसोर्सिंग) पर कार्यरत कुल मानवबल की संख्या – 468

- **भंडारगृह विवरणी :–**

  निगम में कार्यरत प्रमंडल – 06 (मुजफ्फरपुर, पटना, मगध, पूर्णिया, भागलपुर, एवं राँची)

  कुल भंडारण गृहों की संख्या – 58 (बिहार 53, झारखण्ड 5)

व्यवसाय/भौतिक उपलब्धि :–

बिहार राज्य भंडार निगम का खाद्यान्न के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार राज्य भंडार निगम अंतर्गत सम्प्रति 58 स्थानों पर भंडारगृह संचालित हैं, जिसमें अधिकांश स्थान अर्थात 45 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न भंडारित है। शेष स्थान राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संस्थानों यथा, केन्द्रीय भंडारण निगम, बी.एम.एस.आई.सी.एल, जनगणना, कॉम्फेड, हरित सब्जी प्रसंस्करण निगम एवं अन्य द्वारा उपयोगित है। इस निगम अन्तर्गत सम्प्रति कुल भंडारण क्षमता 7.93 लाख मे.टन है।

वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (अक्टूबर 2025) तक की भंडारण क्षमता एवं आभोग की विवरणी निम्नवत् है :–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे.टन)	आभोग (लाख मे.टन)	औसत आभोग प्रतिशत
1.	2023-24	8.17	7.15	87%
2.	2024-25	7.88	6.54	83%
3.	2025-26 (till oct'25)	7.90	6.99	88%

वित्तीय उपलब्धि :

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	लाभ (करोड़ रु0)
1.	2023-24	35.77
2.	2024-25	35.87
3.	2025-26 (till Dec'25)	37.61

नई परियोजनाएँ / योजनाएँ :

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त अनुदान राशि रू.12,51,14,400/–एवं रू. 1,10,60,100/– यानि कुल रू.13,61,74,500/– मात्र से चार स्थानों यथा मुरलीगंज (मधेपुरा)–5000 मे॰टन, मालीघाट (मुजफ्फरपुर)–4000 मे॰टन, फतुहा–1000 मे॰टन तथा मसौढ़ी (पटना)–1500 मे॰टन यानि कुल 11,500 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा रहा है एवं किशनगंज में 10,000 मे॰टन क्षमता हेतु राज्य योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि रू. 13,26,64,000/– से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मुरलीगंज 5000 मे॰टन एवं मसौढ़ी 1500 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

शेष चार स्थलों यथा मालीघाट, मुजफ्फरपुर, फतुहाँ एवं किशनगंज का गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 09 स्थलों पर बे ब्रीज अधिष्ठापन हेतु निविदा की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि :–

1) वित्तीय वर्ष 2023–24 में 01.00 करोड़ रू० तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1.00 करोड़ रूपया मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया गया है।

2) भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आच्छादित सभी भंडारगृहों में Depot Online System (DOS) कंप्यूटर प्रणाली कार्यान्वित किया गया है, जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

3) बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों का Warehousing Development Regualtory Authority (WDRA) के अर्न्तगत निबंधन कार्य किया गया है। संप्रति WDRA के अंतर्गत निबंधित भंडारगृहों की संख्या 43 है।

4) रोजगार के अवसर / नई नियुक्तियों का विवरण : बिहार राज्य भंडार निगम के निदेशक पर्षद की दिनांक 22.12.2023 के कार्यक्रम संख्या–1 को क्रमांक–8 में अधीक्षक–I–9 पद, तकनीकी सहायक–15 पद, सहायक लेखापाल–3 पद, सहायक–II–24 पद एवं पी.सी.डी. ओ.–17 पद पर नियुक्ति IBPS के माध्यम से किया जा रहा है। पी.सी.डी.ओ.–17 पदों की नियुक्त पत्र माह–दिसम्बर में निर्गत किया जाना है एवं अधीक्षक के 9 तकनीकी सहायक

के 15 सहायक लेखापाल–3, सहायक– II के 24 पदों पर नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा प्रक्रियाधीन हैं।

5) प्रौद्योगिकी में नवाचार : बिहार राज्य भंडार निगम तकनीकी के नये आयामों पर अमल करते हुए दो महत्वपूर्ण ऑन लाईन प्रणालियों यथा DOS एवं e-bhandaran (WMS) के अन्तर्गत भंडारण कार्यों को संचालित कर रहा है। केन्द्रीय भंडारण निगम के WMS ऑनलाईन प्रणाली को Customized कर e-bhandaran (WMS) के रूप में भंडारगृहों के सम्पूर्ण गतिविधियों को एक केन्द्रीकृत स्वचालित व्यवस्था के तहत् संचालित करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। उक्त दोनों प्रणालियों के माध्यम से कृषि उत्पादों/अधिसूचित सामग्रियों की प्राप्ति एवं निर्गमन, इनका भंडारण, छल्लीकरण, रासायनिक उपचार, विपत्र भुगतान, गुण नियंत्रण आदि गतिविधियों को स्वचालित रूप से संचालित किया जाता है एवं समयपरक आंकड़े (Real Time Data) पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं निर्णय हेतु उपलब्ध होती है। e-bhandaran (WMS) के साथ Tally, Payment gateway, e-invoicing का integration हो चुका है।

6) DOS एवं e-bhandaran (WMS) के साथ Weighbridge का integration तैतालीस (43) स्थानों पर पूर्ण किया जा चुका है, शेष स्थानों पर प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से Live real time operation संपूर्ण रूप से किया जा रहा है।

7) डीपो दर्पण एक Assessment Portal है, जहां निगम के सभी भंडार गृह के बुनियादी ढाँचा (संरचना), सुरक्षा मानक और परिचालन प्रदर्शन पैरामीटर के आधार पर समीक्षा कर के स्टार रेटिंग असाइन किये जाते हैं।

8. सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेश

I. बिहार राज्य सहकारिता बैंक :–

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वर्तमान बैंकिग प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों की भाँति तकनीकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंक पूर्णतः सी०बी०एस० प्रणाली में कार्यरत हैं तथा अपने ग्राहकों को NEFT, RTGS, IMPS रूपे कॉर्ड तथा ए०टी०एम० आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में 136 ए०टी०एम० तथा 715 माईक्रो ए०टी०एम० की स्थापना की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/के०सी०सी० कॉर्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए०टी०एम० कॉर्ड वितरित किया गया है। मोबाईल ऐप के द्वारा घर बैठे अभिकर्ता के माध्यम से दैनिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता में जमा का सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। जमा राशि पर तत्काल 75% ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पैक्सों को भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है, जिसके लिए नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० में तकनीकी कोषांग गठित किया जा रहा है, जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगा। ग्राहकों को पेमेन्ट वॉलेट, एवं नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए बैंक तत्पर है। राज्य सहकारी बैंक से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ संचार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था भी प्रक्रियाधीन है।

II. धान अधिप्राप्ति :–

प्रत्येक वर्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों से धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों तथा व्यापारमंडलों द्वारा खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पैक्स तथा व्यापार मंडल द्वारा किसान से धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का समावेश किया गया।

परन्तु वर्ष 2015–16 से राज्य के किसानों से धान खरीदगी के लिए आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) के सहयोग से इस कार्य के लिए एक वेब एप्लीकेशन तथा मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कराया गया तथा उसी वर्ष से मोबाईल के माध्यम से धान की खरीदगी शुरू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था में काफी पारदर्शिता आई। धान खरीदारी के पूर्व किसानों का ऑनलाईन निबंधन कराकर उनके क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत पैक्स/व्यापारमंडल को उनसे टैग किया गया तथा निर्धारित तिथि को उनसे धान क्रय करने के लिए उक्त संबंधित पैक्स में निबंधन के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के खाते में किया जा रहा है। उक्त सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय, जिला तथा प्रखंड स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। सारे

प्रतिवेदनों को रियल टाईम में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के ऑनलाईन निराकरण के लिए हेल्प लाईन नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसानों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

III. पैक्सों में सदस्यता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :–

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धुरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाईन ऐप विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं। चूँकि पैक्स ग्रामीण विकास की धुरी हैं, अतः आवश्यक है कि पैक्स के सदस्य बनने की प्रक्रिया सहज हो तथा पूरी प्रक्रिया का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा सके। पैक्सों में ऑनलाईन सदस्यता दिलाने हेतु विभाग के पहल पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन पद्धति से पैक्स में सदस्यता आवेदन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित कराया गया। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी वैध पात्र, निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपने पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पैक्स में सदस्यता पा सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय तथा जिला स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। किसानों को सदस्यता हेतु आवेदन देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया गया है।

दिनांक 02.01.2026 को माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में पैक्स सदस्यता–सह–सहकारी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। अभी तक पैक्सों में 02 लाख से अधिक नये सदस्य बनाये गये हैं।

IV. बिहार राज्य फसल सहायता योजना :–

''बिहार राज्य फसल सहायता योजना'' खरीफ 2018 मौसम से राज्य में लागू की गई है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा यथा– बाढ़, सुखाड़, तुषाड़ापात आदि के फलस्वरूप फसल उत्पादन में ह्रास होने की स्थिति में रैयत, गैर–रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर–रैयत श्रेणी को अधिकतम 20,000 रूपये तक सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। इसके लिए किसानों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम अथवा शुल्क भुगतान नहीं करना है।

इस योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या के द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार के निदेशन में संपादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आँकड़ों के आधार पर वैसे पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र, जहाँ फसल

उत्पादन में ह्रास प्रतिवेदित होता है, के आवेदक किसानों को मूलभूत दस्तावेज योजना के पोर्टल पर अपलोड कराते हुए आवेदित आँकड़ों / दस्तावेजों का जिला स्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से सत्यापन कराने के उपरांत स्वीकृत लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान DBT के द्वारा सीधे उनके आधार से संबद्ध बैंक खाता में किया जाता है।

इस योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से रबी 2024–25 मौसम से किसानों के आवेदित भूमि का कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी संख्या तथा geo-coordinates भी प्राप्त किया जा रहा है। NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा E-Governance के लिए Award of Excellence प्रदान किया गया है।

V. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना :–

राज्य के सभी 8463 पैक्सों में केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (NCDC) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय सहायता के आधार पर सम्पोषित "मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना" लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पैक्स को कृषि सयंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रुपये उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु सभी इच्छुक पैक्सों को ऑनलाईन भारत सरकार द्वारा निर्मित GeM पोर्टल पर निबंधन करा कर चयनित कृषि सयंत्र को GeM पोर्टल पर BID द्वारा क्रय किया जा रहा है। इस योजना के तहत क्रय तथा भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पूर्ण रुप से ऑनलाईन है। इसके लिए विभाग द्वारा मोबाईल ऐप भी विकसित किया गया है।

VI. पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–

पैक्सों में समान लेखा प्रणाली (CAS) लागू है। CAS को सुगम बनाने तथा समितियों के कामकाज में पारदर्शिता तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से पैक्सों के कम्प्यूटरीकण की योजना है। इस योजना के तहत चयनित पैक्सों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराया जाएगा। पैक्सों के कार्यकलापों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से संचालन करना होगा।

VII. सहकारी समितियों का निबंधन :–

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के तहत सहकारी समितियों के निबंधन हेतु On-Line आवेदन की प्राप्ति एवं Online निष्पादन की सुविधा विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए सहकारी समिति गठित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति सहकारिता विभाग, बिहार के आधिकारिक बेवसाइट cooperative.bih.nic.in पर जाकर अपना User ID एवं पासवर्ड बनाने के पश्चात् सहकारी समिति के निबंधन हेतु आवेदन एवं अन्य कागजात Online समर्पित कर सकते हैं। निबंधन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् समिति का निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन अस्वीकृति की दशा में अस्वीकृति पत्र आवेदक Online विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

वर्तमान में बिस्कोमान के तर्ज पर एक राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघ एवं परिसंघ का गठन किया जा रहा है। साथ ही, राज्य के बकरी पालकों के उत्थान हेतु डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से प्रखण्ड स्तरीय बकरी पालक सहकारी समिति लि०, मखाना उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रखण्ड स्तरीय मखाना उत्पादक सहकारी समिति एवं अनुमण्डल स्तर पर उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है।

VIII. अंकेक्षण :–

समिति के अंकेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए अंकेक्षण की प्रक्रिया को Online कर दिया गया है। Online Audit app के माध्यम से समितियों से संबंधित डाटा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अपलोड कराया जा रहा है, जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके तथा अंकेक्षण में पारदर्शिता लायी जा सकेगी।

IX. CCMS (Court Cases Monitoring System) -

माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वादों का अनुश्रवण CCMS के माध्यम से किया जा रहा है।

X. CCIS (Cooperative Court Information System) -

न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ के वादों से संबंधित कार्य CCIS के माध्यम से किया जा रहा है।

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद के पणन एवं भंडारण के निमित्त पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुकुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं। रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, औद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर **"धुरद"** शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोबस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

परिशिष्ट – II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :–

1.	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	–	8463
2.	व्यापार मंडल सहयोग समिति	–	521
3.	सहकारी उपभोक्ता भंडार	–	224
4.	प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति	–	529
5.	बचत एवं साख सहयोग समिति	–	54
6.	गृह निर्माण सहयोग समिति	–	698
7.	औद्योगिक सहयोग समिति	–	493
8.	कृषि एवं एलायड सहयोग समिति	–	1534
9.	कुकुटपालन सहयोग समिति	–	29
10.	शिक्षण एवं प्रशिक्षण सहकारी समिति	–	01
11.	श्रमिक सहकारी समिति	–	604
12.	जूट एवं कॉयर सहकारी समिति	–	06
13.	महिला विकास सहयोग समिति	–	1184
14.	बुनकर सहयोग समिति	–	424
15.	प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ	–	534
16.	बहुधंधी सहयोग समिति	–	114
17.	चीनी मिल सहयोग समिति	–	23
18.	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	–	12239
19.	पर्यटन सहयोग समिति	–	01
20.	जनजातीय सहयोग समिति	–	06
21.	अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक	–	01
22.	परिवहन सहयोग समिति	–	31
23.	सर्वोदय सहयोग समिति	–	01
24.	प्राथमिक मधुमक्खी पालन शहद उत्पादक प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लि0	–	124
25.	विविध क्रेडिट सहकारी समिति	–	01
26.	विविध नन–क्रेडिट सहकारी समिति	–	43
			27882

परिशिष्ट – III

गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई समितियों की संख्या :–

क्र0 सं॰	जिला का नाम	2022–23			2023–24			2024–25			2025–26		
		1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	बांका	18	3	4	1	0	0	16	5	0	7	0	0
2	भागलपुर	2	4	1	2	3	7	0	4	0	0	3	3
3	समस्तीपुर	9	3	1				7	1	0	0	0	0
4	दरभंगा							1	1	1	1	1	0
5	मधुबनी	3	1	1	2			0	2	0	5	2	0
6	गयाजी	1	5	2	7	19		5	18	0	37	10	0
7	नवादा	32	4	1	2			18	3	0	26	0	0
8	औरंगाबाद	2	1		10	7		7	4	0	11	5	0
9	जहानाबाद							3	4	0	1	1	0
10	अरवल							0	0	0	5	1	0
11	लखीसराय	6		1	2	2		1	0	0	0	3	0
12	बेगूसराय							6	2	0	0	2	1
13	मुंगेर						4	0	0	0	1	0	0
14	जमुई	11	6		4	7		13	2	0	1	0	0
15	शेखपुरा							0	0	0	0	0	0
16	खगड़िया							0	0	0	0	1	0
17	सीवान	1	8		9	9	1	7	3	1	43	3	1
18	गोपालगंज	2	2	3		4		7	3	0	1	1	1
19	सारण				13	23	2	7	6	0	52	17	0
20	रोहतास	5	5		13	3		10	4	1	3	0	0
21	भोजपुर			5				2	12	3	0	0	0
22	पटना	1			6	7	1	4	6	0	0	0	0
23	कैमूर	22	14		29	14		25	15	0	3	0	0
24	नालन्दा		7	2	3	1		1	1	0	0	0	0
25	बक्सर					1	1	0	0	0	0	0	0
26	मुजफ्फरपुर	4		7	11	4	1	10	1	0	1	0	0
27	बेतिया	2	6		2	8		0	0	0	3	0	0
28	वैशाली	3		2	3			10	1	0	0	0	0
29	मोतिहारी				1	11		0	3	0	0	0	0
30	सीतामढ़ी	1	1		5	7	3	0	0	0	5	3	0
31	शिवहर							0	0	0	0	0	0
32	सुपौल	6	5	7	12	6		8	2	0	8	0	0
33	मधेपुरा	4	3		6	3		0	0	0	2	0	0
34	सहरसा	10			13	4		8	1	0	0	0	0
35	पूर्णियाँ	1						3	0	0	0	0	0

36	अररिया	1		1	1	2		0	0	0	1	0	0
37	कटिहार	3	3					4	2	0	2	0	0
38	किशनगंज	4	2	1	2	1		3	7	0	0	0	0
	कुल	154	83	39	159	146	20	186	113	6	219	53	6

चावल मिल.सह.गैसीफायर एवं विद्युत आधारित चावल मिल (2MT) निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या

क्रम	जिला	2008.09	2010.11	2012.13		2013.14		2014.15		2015.16		2016.17	2017.18	2018.19	2020.21	कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	
1	बाँका	1	1	1	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	1	13
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	13
3	समस्तीपुर	.	2	2	.	3	1	.	.	3	1	.	6	.	1	19
4	दरभंगा	.	1	1	1	2	.	3	1	1	.	.	2	.	1	13
5	मधुबनी	.	1	1	1	4	1	1	.	1	.	.	2	.	1	13
6	गयाजी	2	2	2	.	3	.	1	.	.	2	.	7	.	2	21
7	नवादा	1	1	1	.	.	.	.	.	6		.	2	.	1	12
8	औरंगाबाद	3	6	7	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	1	27
9	जहानाबाद	1	.	1	.	3	.	1	.	.	.	.	1	.	.	7
10	अरवल	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	1	5
11	लखीसराय	.	3	1	.	2	.	1	.	3	.	.	1	.	1	12
12	बेगूसराय	.	.	1	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	1	5
13	मुंगेर	.	.	1	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7
14	जमुई	.	.	2	.	4	1	.	3	2	.	.	2	.	1	15
15	शेखपुरा	.	.	2	.	3	1	.	.	3	.	.	.	.	1	10
16	खगड़िया	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	4
17	सीवान	3	4	2	.	3	1	.	.	2	.	.	1	.	1	17
18	गोपालगंज	.	.	3	.	4	.	3	.	.	.	.	4	.	1	15
19	सारण	.	.	1	1	1	.	1	.	.	1	.	5	.	1	11
20	रोहतास	2	3	5	1	3	.	14	3	16	5	.	6	.	1	59
21	भोजपुर	1	1	2	.	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.	15
22	पटना	3	2	1	.	.	.	1	.	3	.	.	7	.	2	19
23	कैमूर	2	4	1	.	1	.	6	.	5	.	.	6	.	2	27
24	नालन्दा	.	3	6	1	4	.	5	.	.	.	.	5	.	.	24
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	4	.	.	.	.	.	1	.	17
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	.	4	.	.	.	3	.	.	2	.	1	16
27	बेतिया	1	4	2	1	2	.	6	.	.	.	.	.	1	.	17
28	वैशाली	2	3	3	.	2	.	.	.	4	.	.	.	.	1	15
29	मोतीहारी	3	1	3	.	2	.	1	.	.	.	.	4	.	2	16
30	सीतामढ़ी	2	3	1	.	.	.	3	.	5	.	.	.	.	1	15
31	शिवहर	.	.	1	.	3	.	1	.	3	.	.	.	.	1	9
32	सुपौल	1	1	1	.	1	1	3	1	5	.	.	3	.	1	18
33	मधेपुरा	.	2	2	.	5	.	1	.	.	.	.	2	.	2	14
34	सहरसा	.	.	1	.	3	.	2	.	.	.	.	2	.	.	8
35	पूर्णियाँ	.	1	2	1	3	1	.	1	.	.	.	2	.	1	12
36	अररिया	.	.	2	.	3	.	2	.	5	1	.	3	.	1	17
37	कटिहार	2	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	8
38	किशनगंज	2	.	2	.	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	8
	कुल	40	58	73	10	94	11	60	9	74	11	0	93	6	34	573

परिशिष्ट – IV

विभाग की सांगठनिक एवम् प्रशासनिक संरचना

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

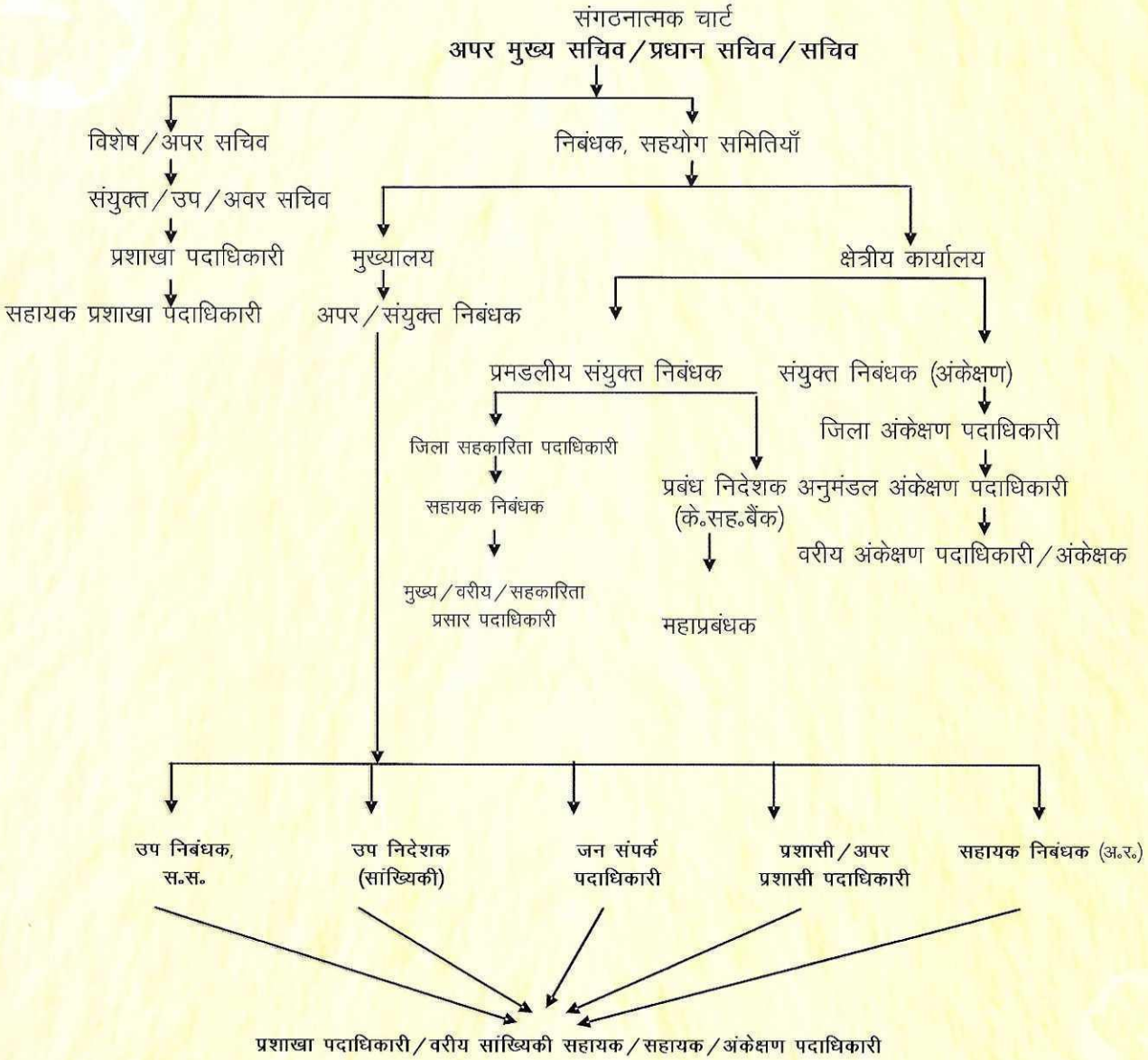

परिशिष्ट – V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :–

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1 पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौढ़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालंदा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		4. बक्सर
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		5. रोहतास
	6. कैमूर	13. कैमूर		6. कैमूर
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	.2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		8. जहानाबाद
	9. अरवल	17. अरवल		9. अरवल
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		10. औरंगाबाद
	11. नवादा	19. नवादा		11. नवादा
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		13. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी 24. पुपरी		14. सीतामढ़ी 15. शिवहर
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी 27. सिकरहना		16. मोतिहारी
	17 बेतिया	28. बेतिया 29. बगहा		17. बेतिया

4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा 31. बेनीपुर	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा
	19. मधुबनी	32. मधुबनी 33. झंझारपुर 34. बेनीपट्टी		19. मधुबनी
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर 36. दलसिंहसराय 37. रोसड़ा 38. पटोरी		20. समस्तीपुर
5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण	39. छपरा 40. सोनपुर	5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण
	22. सिवान	41. सिवान		22. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज		23. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर 25. बांका
	25. बांका	45. बांका		1. मुंगेर 2. जमुई 3. शेखपुरा 4. लखीसराय
	26. मुंगेर	46. मुंगेर		
	27. जमुई	47. जमुई		
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा		
	29. लखीसराय	49. लखीसराय		
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय		30. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया		31. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. बीरपुर 54. त्रिवेणीगंज	7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा 33. सुपौल 34. मधेपुरा
	33. सुपौल	55. सुपौल		
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		35. पूर्णियाँ 36. अररिया 37. किशनगंज
	36. अररिया	59. अररिया		
	37. किशनगंज	60. किशनगंज		
	38. कटिहार	61. कटिहार		38. कटिहार

सदस्यता-सह-सहकारी जागरूकता अभियान
डॉ0 प्रमोद कुमार

सहकारिता विभाग, बिहार
2025

को-ऑपरेटिव बैंक
धान अधिप्राप्ति
ई-पैक्स
जन औषधि केन्द्र

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

एक सब के लिए
सब एक के लिए

Printed at : Indian Arts Offset, Basement of S.B.I., Mahendru, Patna - 6
(M) 7257887860, 9431011172, Email : indianartsoffset@yahoo.com